


**अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर**

अभिलेख वाद संख्या- 385/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
6.3.2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एव सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि</p> <p>मौजा- <u>जोगीहा</u> धाना नं०- <u>119</u> खाता संख्या- <u>10</u> प्लॉट संख्या- <u>115</u> रकबा- <u>32 गी०</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- _____ के पृष्ठ संख्या- <u>122</u> पर जमाबंदी रैयत <u>कालीशरणी राजवार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p align="right">अभिलेख दिनांक- <u>20.3.2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right">               अंचल अधिकारी              गोविन्दपुर         </p>	

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(f) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

20/3/20

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर